

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, 28th February, 2012/ 09 phalgun 1933 (Saka)

No.: 149

Sub: Guidelines for issue of Vehicle Passes.

Hon'ble Members are informed that keeping in view the security concerns of the grand Legislative Assembly building and complex, Hon'ble Speaker has desired that the vehicle passes be issued with a utmost care in the following manner:-

1. The vehicle passes of non governmental private persons shall not be renewed. Instead fresh passes shall be issued on recommendation of Hon'ble MLAs on production of registration certificate of the vehicle.
2. There shall be a ceiling of 2 MLA passes for issue to a Hon'ble Member after the submission of registration certificate of the vehicles that is registered in the name of the Hon'ble Member or his family members.
3. The Hon'ble Members are requested to recommend minimum number of persons for issue of vehicle passes (Parking Label) and in any case Hon'ble MLA should not recommend more than 3 persons during a year for issue of passes to genuine persons for their private vehicles.

P.N. MISHRA
Secretary

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2
विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
मंगलवार, 28 फरवरी, 2012/ फाल्गुन 09, 1933 (शक)

संख्या-149

विषय:- कार पार्किंग लेबल जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ऐतिहासिक विधान सभा परिसर एवं भवन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने एम.एल.ए. एवं पी लेबल कार पार्किंग जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है:-

1. पूर्व में जारी किए गए गैर-सरकारी निजी व्यक्तियों के पार्किंग लेबलों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नए पार्किंग लेबल माननीय विधायकों की सिफारिश पर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जारी किए जायेंगे।
2. माननीय विधायकों के लिए अधिकतम 02 एम.एल.ए. कार पार्किंग लेबल माननीय विधायक अथवा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी किए जायेंगे।
3. माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया कम-से-कम संख्या में कार पार्किंग लेबल जारी करने की सिफारिश करें एवं किसी भी हालत में कोई भी माननीय सदस्य निजी वाहनों के लिए वर्ष में 03 कार पार्किंग लेबलों से अधिक की सिफारिश न करें।

पी.एन. मिश्रा
सचिव